

## भाग-II

### आयोजना-भिन्न व्यय, 2015-2016

आयोजना-भिन्न व्यय में सरकार का वह सारा व्यय शामिल है, जो आयोजना में शामिल नहीं होता। यह राजस्व व्यय या पूंजीगत व्यय हो सकता है। व्यय का कुछ भाग अनिवार्य देनदारियों से सम्बन्धित होता है, जैसे, ब्याज सम्बन्धी अदायगियां, पेंशन प्रभार और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सांविधिक अन्तरण। व्यय का कुछ भाग राज्य के अनिवार्य कार्यों के सम्बन्ध में होता है, उदाहरणार्थ-रक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, विदेशी मामले और राजस्व संग्रहण। आयोजना-भिन्न व्यय के स्पष्ट श्रेणीवार ब्योरे विवरण सं.4 में दिए गए हैं। 2015-2016 के बजट में शामिल की गई आयोजना-भिन्न व्यय की महत्वपूर्ण मदें निम्नलिखित पैराग्राफों में दी गई हैं। सामान्य रूप से आयोजना-भिन्न पूंजी परिव्यय को विवरण सं.8 में एक साथ दर्शाया गया है जिसमें रक्षा सेवाएं तथा संघ राज्य क्षेत्र (विधानमण्डल रहित) शामिल नहीं हैं।

**1. ब्याज सम्बन्धी अदायगियां और ऋण शोधन (₹ 4,56,145.05 करोड़)** ₹ 4,56,145.05 करोड़ की राशि सरकारी ऋण, आंतरिक और विदेशी दोनों तथा सरकार की अन्य ब्याज संबंधी देयताओं के भुगतान के लिए मुहैया की गयी है। आंतरिक ऋण में मुख्यतः दिनांकित प्रतिभूति के जरिए बाजार ऋण, राजकोषीय हुंडियां और राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं। अन्य सब्याज देयताओं में बीमा और पेंशन निधि, गैर-सरकारी भविष्य निधियों की जमाशयियां, प्रारक्षित निधियां, तेल विपणन कंपनियों, उर्वरक कम्पनियों, भारतीय खाद्य निगम और अन्य को जारी विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं। 2004-05 से प्रावधान में बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत उधार पर ब्याज की अदायगी को एमएसएस पर समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार पृथक दर्शाया गया है। ऋण की कटौती से समय-पूर्व सम्बद्ध प्रीमियम भुगतान हेतु ₹ 1000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

#### 2. रक्षा (₹ 2,46,727 करोड़)

इसमें वस्तुओं और राजस्व प्राप्तियों को घटाकर रक्षा सेवाओं पर होने वाला राजस्व और पूंजी व्यय, शामिल है। इसके घटक ये हैं- थल सेना (₹ 1,04,158.95 करोड़), नौ सेना (₹ 15,525.64 करोड़), वायु सेना (₹ 23,000.09 करोड़), आयुध कारखाने ₹ 2,884.23 करोड़, अनुसंधान तथा विकास (₹ 6,570.09 करोड़) तथा रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए उपर्युक्त सभी सेवाओं का पूंजी परिव्यय (₹ 94,588 करोड़)।

#### 3.1 मुख्य सस्सिडियों (₹ 2,27,387.56 करोड़)

**3.1.1 उर्वरक सस्सिडी (₹ 72,968.56 करोड़):-** इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

**3.1.1.1 आयातित (यूरिया) उर्वरक (₹ 12,300 करोड़):-** चूंकि देशी उत्पादन उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, अतः कमी को पूरा करने के लिए आयात किया जाता है। उर्वरकों की मुख्यतः तीन किस्में अर्थात् यूरिया, डाई-अमोनियम फास्फेट (डीएपी) और म्यूरेट आफ पोटाश आयात की जाती हैं। चूंकि केवल नाइट्रोजनी उर्वरकों पर मूल्य नियंत्रण लागू होता है इसलिए ये अनुमान वर्ष के दौरान यूरिया के सम्भावित आयात पर आधारित हैं।

**3.1.1.2 देशी (यूरिया) उर्वरक (₹ 38,200 करोड़):-** यूरिया सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत एकमात्र उर्वरक है और इसका अधिकतम खुदरा मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। यूरिया आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जारी उर्वरक नियंत्रण आदेश के अंतर्गत मूल्य वितरण और संचलन के अधधीन है। दिनांक 01 नवंबर, 2012 से यूरिया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क केन्द्रीय बिक्री कर, प्रतिकारी शुल्क, राज्य कर और अन्य स्थानीय कर, जहां लगते हैं, को छोड़कर ₹ 5360 रूपए प्रति टन के अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचा जाता है। उत्पादन लागत और रियायती मूल्य के बीच अंतर के लिए सस्सिडी दी जाती है।

**3.1.1.3 कृषकों को रियायत के साथ विनियंत्रित उर्वरक की बिक्री (₹ 22,468.46 करोड़) :-** यह प्रावधान उर्वरक एजेंसियों के विनिर्माण/आयात से संबंधित भुगतानों के लिए है। यह स्कीम फास्फोरस और पोटाशयुक्त उर्वरकों के विनियंत्रित होने के बाद किसानों को स्वस्थ एन.पी.के. अनुपात

बनाए रखने में मदद देने और उर्वरकों की कीमते काबू में रखने के लिए लागू की गयी थी।

**3.1.2 खाद्य सस्सिडी (₹ 1,24,419 करोड़):-** खाद्य सस्सिडी को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के बजट में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए नियत केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर उनकी बिक्री की उगाही और खाद्यान्न के किफायती दाम के बीच के अंतर को पाटने के लिए प्रदान किया गया है। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार बफर स्टॉक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खाद्यान्न की अधिप्राप्ति भी करती है। अतः खाद्य सस्सिडी का एक भाग बफर स्टॉक की दुलाई लागत की पूर्ति में भी जाता है। यह सस्सिडी भारतीय खाद्य निगम जो लक्षित लोक वितरण प्रणाली (टीडीपीएस) के अंतर्गत गेहूँ और चावल की अधिप्राप्ति और वितरण तथा अन्य कल्याण योजनाओं और खाद्य सुरक्षा के उपाय के रूप में खाद्यान्न के बफर स्टॉक के अनुरक्षण हेतु भारत सरकार का मुख्य साधन है, को प्रदान की जाती है। बारह राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र नामतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, प. बंगाल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार, उड़ीसा, गुजरात, केरल और कर्नाटक ने राज्य के भीतर न केवल खाद्यान्न अधिप्राप्ति अपितु उसको टीडीपीएस और अन्य कल्याण योजनाओं के अंतर्गत लक्षित जनसंख्या को वितरित करने का भी उत्तरदायित्व उठाया है। विकेन्द्रीयकृत अधिप्राप्ति की इस योजना के अंतर्गत, राज्य विशिष्ट किफायती दाम का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है, और इस तरह नियत किफायती लागत और अखिल भारतीय स्तर पर नियत केन्द्रीय निर्गम मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति राज्यों को खाद्य सस्सिडी के रूप में की जाती है। हाल ही में बिहार सरकार ने प्रत्यक्ष नकद भुगतान (डीसीपी) स्कीम को अपनाने का निर्णय लिया है। अन्य राज्यों को इस योजना को अपनाने के लिए राजी करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

खाद्य सस्सिडी हेतु ₹ 1,24,419 करोड़ के प्रावधान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए ₹ 64,919 करोड़ का प्रावधान भी शामिल है।

**3.1.3 पेट्रोलियम सस्सिडी (₹ 30,000 करोड़):-** सरकार डीजल, पीडीएस किरासन और घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्य को अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के उच्च मूल्य के पूर्ण प्रभाव से उपभोक्ताओं को अलग करने के लिए घटाती-बढ़ाती है। इसमें एलपीजी सस्सिडी के लिए ₹ 22,000 करोड़ तथा कैरसिन सस्सिडी के लिए ₹ 8000 करोड़ शामिल हैं।

**3.2 ब्याज सस्सिडियाँ (₹ 14,903.42 करोड़):-** ब्याज सस्सिडी में नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कोऑपरेटिव बैंकों तथा पीएसबी द्वारा किसानों को अथवा अवधि में दिए गए ऋणों पर ब्याज सहायता के रूप में ₹ 13,000 करोड़ का प्रावधान शामिल हैं। निर्यात संवर्धन के लिए मुहैया कराई गई सस्सिडी के लिए ₹ 1.625 करोड़ की राशि है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन प्लान के लिए एलआईसी की ₹ 101.79 करोड़ का प्रावधान, हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों में वीआरएस लागू करने के लिए सीपीएसयू द्वारा बैंकों से लिए गए ऋण पर ब्याज सहायता देने के लिए (₹ 44.11 करोड़) है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाणा राज्य में औद्योगिक इकाइयों ब्याज सहायता के लिए 100 करोड़ की राशि शामिल हैं। ब्याज सस्सिडी का ब्योरा विवरण सं. 5 में दिया गया है।

**3.3 अन्य सस्सिडियाँ (₹ 1520.00 करोड़):-** अन्य सस्सिडियों के ब्योरे विवरण संख्या 6 में दिए गए हैं। जिन प्रमुख मदों के लिए व्यवस्था की गई है, वे नीचे दी गई हैं:-

(क) चीनी उपक्रमों को सहायता देने के लिए स्कीम-2007 (₹ 800 करोड़): यह प्रावधान चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

(ख) हज सस्सिडी (₹ 500 करोड़): यह हज कार्यों के संबंध में है और इसका उद्देश्य हज तीर्थ यात्रियों द्वारा भुगतान किये जाने वाले विमान किराया के लिये सस्सिडी देना है।

(ग) कृषि उत्पादों के लिए बाजार हस्तक्षेप/मूल्य समर्थन स्कीम के लिए सहायता (₹80 करोड़): मूल्य समर्थन अथवा बाजार हस्तक्षेप की अभिकल्पना कृषकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। ₹ 80 करोड़ रुपए का प्रावधान मुख्यतः एमआईएस/पीएसएस कार्यक्रम के लिए

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलिकाप्टर सेवाओं हेतु सब्सिडी (₹ 76.45 करोड़): यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलिकाप्टर सेवाएं देने के लिए है।

(ङ) शिपयार्ड को सब्सिडी: (₹ 43 करोड़) यह प्रावधान गैर पीएसयू और निजी क्षेत्रिय शिपयार्डों को सब्सिडी देने के बारे में है।

(च) दालों के आयात पर सब्सिडी (₹ 10 करोड़): यह प्रावधान दालों के आयात पर सब्सिडी देने के लिए है।

**4. राज्यों को राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि से सहायता (₹ 5,690 करोड़)**

तेरहवें वित्त आयोग ने ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार गठित, विद्यमान राष्ट्रीय आपदा आकास्मिकता निधि (एनसीसीएफ) का आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अधीन यथाउपबन्धित राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि (एनडीआरएफ) में विलय करने की सिफारिश की है। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (एनसीसीडी) से संग्रहित राशि को एनडीआरएफ में अंतरित किया जाता है और राज्यों को सहायता एनडीआरएफ से पूरी की जाती है। अनुमान है कि ₹ 5,690 करोड़ का एनसीसीडी का संग्रह किया जाएगा और एनडीआरएफ को अंतरित किया जाएगा।

**6. डाक सम्बन्धी घाटा (₹ 6,665.09 करोड़)**

डाक संबंधी घाटा डाक विभाग के कार्यकारी खर्चों की कमी को दर्शाता है। जबकि इस विभाग का कार्यकारी खर्च ₹ 18,701.96 करोड़ है, डाक संबंधी प्राप्तियां ₹ 12,036.87 करोड़ होने का अनुमान है जिससे ₹ 6,665.09 करोड़ का घाटा होगा।

**7. सामरिक महत्व की लाइनों के संचालन में रेलवे को होने वाली हानियों की प्रतिपूर्ति (₹ 664.82 करोड़)**

वर्ष 2015-16 में रेलवे को सामरिक महत्व की लाइनों के संचालन पर होने वाली हानियों की एवज में ₹ 664.82 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति है, उपलब्ध कराई गई है।

**8. रेलवे को लाभांश राहत और अन्य रियायतों के लिए सब्सिडी (₹ 4,728.71 करोड़):**

रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिशों के अनुसार रेलवे की अनेक मदों पर सामान्य राजस्व को लाभांश के भुगतान में रियायत दी जाती है। इसकी व्याख्या प्राप्ति बजट में की गयी है। लाभांश रियायतें, महत्वपूर्ण लाइनों के कार्यकरण में हानि से संबंधित रियायतों को छोड़कर, रेलवे को आम राजस्व से सब्सिडी के रूप में दी जाती है।

**9. सामान्य सेवाएं**

**9.01 राज्य के अंग (₹ 5,281.62 करोड़):** इसमें मुख्यतः संसद (₹ 935.99 करोड़), राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति (₹ 51.55 करोड़), मंत्रिपरिषद (₹ 415.68 करोड़), न्याय प्रशासन (₹ 464.35 करोड़) और भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग (₹ 3,414.05 करोड़) के लिए व्यवस्था की गई है।

**9.02 कर संग्रहण (₹ 11,287.78 करोड़):** यह व्यवस्था कर संग्रहण एजेंसियों के व्यय के लिए है और यह मुख्यतः आयकर विभाग (₹ 4,857.97 करोड़), सीमाशुल्क (₹ 2,859.41 करोड़) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (₹ 3,449.58 करोड़) के सम्बन्ध में है। सीमा शुल्क व्यय में तटस्थकों के लिए व्यय (₹ 1,314 करोड़) शामिल हैं।

**9.03 निर्वाचन (₹ 2,218.40 करोड़):** यह प्रावधान सामान्य चुनाव सम्बन्धी व्यय (₹ 547 करोड़) और मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करने (₹ 40 करोड़) सामान्य चुनाव (₹ 1555.40 करोड़) और भारतीय निर्वाचन आयोग (₹ 76 करोड़) के लिए है।

**9.04 सचिवालय-सामान्य सेवाएं (₹ 3,534.41 करोड़):** ये प्रमुख व्यवस्थाएं रक्षा मंत्रालय, महानियंत्रक, रक्षा लेखा संगठन और रक्षा सम्पदा संगठन सहित (₹ 2,154.02 करोड़), विदेश कार्य (₹ 297.98 करोड़) और गृह (₹ 291.95 करोड़), राजस्व (₹ 184.78 करोड़) और आर्थिक कार्य (₹ 162.45 करोड़) के लिए की गई हैं।

**9.05 पुलिस (₹ 51,590.83 करोड़):** इसमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के लिए ₹ 13,647.89 करोड़, सीमा सुरक्षा बल के लिए ₹ 12,227.82 करोड़, असम राइफल्स के लिए ₹ 3,723.28 करोड़, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए ₹ 5,169.02 करोड़ और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लिए ₹ 3,646.67 करोड़ और दिल्ली पुलिस के लिए ₹ 4,851.77 करोड़, सशस्त्र सीमा बल के लिए ₹ 3,366.16 करोड़ तथा पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु ₹ 70 करोड़, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के लिए ₹ 598.76 करोड़, आसूचना ब्यूरो के लिए ₹ 1,250.40 करोड़, जम्मू तथा कश्मीर की लाइट इन्फ्रंट्री हेतु ₹ 1,050.40 करोड़ और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के लिए ₹ 477.82 करोड़ की व्यवस्था शामिल है।

**9.06 विदेश कार्य (₹ 5,187.32 करोड़):** यह व्यय मुख्यतः विदेशों में स्थित दूतावासों और मिशनो तथा विशेष राजनयिक व्यय के लिए है।

**9.07 पेंशन (₹ 88,521.26 करोड़):** इसमें रक्षा सेवाओं (₹ 54,500 करोड़) और अन्य सिविल विभागों (₹ 34,021.26 करोड़) के सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ शामिल है। इसमें भारत संचार निगम लि. में लिए गए कर्मचारियों को शामिल कर दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के पेंशनरी लाभ (₹ 6,833.02 करोड़) और सीजीएचएस पेंशनरों के चिकित्सा उपचार हेतु ₹ 965 करोड़ भी शामिल हैं। रेलवे तथा डाक विभागों के पेंशन प्रभारों को इन विभागों के कार्यचालन व्यय का भाग माना जाता है।

**9.09 अन्य (₹ 3,425.92 करोड़):** इसमें लोक निर्माण कार्य के लिए ₹ 1593.47 करोड़, कैटीन स्टोर विभाग के कार्यशील व्यय हेतु ₹ (-)125 करोड़, गारंटी मोचन निधि में अंतरण हेतु ₹ 300 करोड़ सीमा सड़क संगठन सचिवालय के लिए ₹ 372.52 करोड़ तथा अन्य के लिए ₹ 1,284.93 करोड़ की व्यवस्थाएं शामिल हैं।

इस सेक्टर में शामिल वाणिज्यिक विभागों यथा-कैटीन स्टोर विभाग का राजस्व व्यय ₹ 14,799.62 करोड़ होने का अनुमान है। तथापि, इसे ₹ 14,924.62 करोड़ की प्राप्तियों से प्रतिसंतुलित किया जाएगा।

**10. सामाजिक सेवाएं**

**10.01 शिक्षा (₹ 12,873.34 करोड़):** इसमें केन्द्रीय विद्यालयों के लिए ₹ 2,403.47 करोड़, नवोदय विद्यालय समिति के लिए ₹ 511 करोड़, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए ₹ 6,095.45 करोड़, तकनीकी शिक्षा के लिए ₹ 3,295.98 करोड़, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए ₹ 1,703.85 करोड़, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए ₹ 934.98 करोड़ के लिए की गयी व्यवस्था शामिल है। इसमें भारतीय प्रबंध संस्थानों के लिए (₹ 5 करोड़) और भारतीय विज्ञान संस्थान और शिक्षा तथा अनुसंधान हेतु भारतीय विज्ञान संस्थान के लिए सहायता (₹ 269.09 करोड़), राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुम्बई (₹ 27.14 करोड़), राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (₹ 65.55 करोड़) चसेचलआईईटी, एनईआर आईएसरी, एनआईएफरी, रांची तथा सीआईटी, कोकराझार (₹ 106.68 करोड़) और आईएसएम धनबाद के लिए (₹ 74.50 करोड़) की व्यवस्था भी शामिल है।

**10.04 चिकित्सा, जन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (₹ 4,554.11 करोड़):** इसमें केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लिए ₹ 815 करोड़, अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के लिए ₹ 1,619 करोड़, चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिए ₹ 2,038.30 करोड़ तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं के लिए ₹ 479.86 करोड़ और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के लिए (₹ 295 करोड़) शामिल है। इसमें आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्धा एवं होम्योपैथी के लिए ₹ 205.36 करोड़ का प्रावधान भी शामिल है।

**10.06 सूचना और प्रसारण (₹ 2,730.57 करोड़):** इस व्यवस्था में प्रसार भारती (₹ 2,342.12 करोड़) को उसके राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए संसाधनों में अंतर की पूर्ति के लिए अनुदान, विभिन्न सूचना और प्रचार अभिकरणों जैसे फिल्म डिवीजन, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, प्रेस सूचना सेवा, संगीत और नाटक प्रभाग, प्रकाशन प्रभाग आदि के लिए ₹ 388.45 करोड़ शामिल है।

**10.07 श्रमिक कल्याण (₹ 3,138.52 करोड़):-** इसमें सामाजिक सुरक्षा के लिए कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 को अंशदान के लिए ₹ 2,540 करोड़ की व्यवस्था शामिल है। अन्य योजनाएं, जिनके लिए व्यवस्था की गई है, वे हैं:- औद्योगिक सम्बन्ध, काम की स्थितियां और सुरक्षा, श्रम कल्याण, श्रम शिक्षा और कारीगरों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण।

**10.08 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (₹ 3,068.73 करोड़):-** इसमें स्वतन्त्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन और अन्य लाभों के लिए ₹ 750.16 करोड़, बाल और महिला कल्याण के लिए ₹ 55.82 करोड़, विकलांगों के कल्याण आदि के लिए ₹ 59.82 करोड़ की व्यवस्था शामिल है।

**10.09 सचिवालयी सामाजिक सेवाएं (₹ 464.15 करोड़):-** इसमें ₹ 71 करोड़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिवालय के लिए, ₹ 99.95 करोड़ उच्च शिक्षा, श्रम एवं रोजगार ₹ 43.08 करोड़ और सूचना एवं प्रसारण के लिए ₹ 58.33 करोड़ शामिल हैं।

**10.10 अन्य (₹ 2,280.04 करोड़):-** इसमें कला और संस्कृति (₹ 691.09 करोड़), आवास और शहरी विकास (₹ 852.22 करोड़), खेल और युवा सेवायें (₹ 119.75 करोड़) की व्यवस्था शामिल हैं।

### 11. आर्थिक सेवाएं

**11.01 कृषि और सम्बद्ध क्रिया-कलाप (₹ 2,928.34 करोड़):-** इसमें कृषि कार्य, बागान, भूमि और जल संरक्षण, पशु पालन, डेरी विकास, मत्स्य पालन, वानिकी और वन्य-जीव, खाद्य, भंडारण, भांडागारण आदि से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के लिए व्यवस्था है। मुख्य व्यवस्था कृषि अनुसंधान और शिक्षा (₹ 2,622.89 करोड़) और दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना के पुनरुज्जीवन के लिए है।

**11.02 विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन (₹ 1,704.03 करोड़):-** यह प्रावधान मुख्यतया सम-निर्यात लाभों के लिए निर्यात संवर्धन और विपणन विकास (₹ 1,259.93 करोड़) हेतु सहायता के संबंध में है। इस प्रावधान में निर्यात संवर्धन और विशिष्ट निर्यात संवर्धन योजनाओं के लिए अन्य संस्थाओं को अनुदानों का भुगतान भी शामिल है।

**11.04 उद्योग और खनिज (₹ 1,709.99 करोड़):-** मुख्य व्यवस्थाएं ग्राम और लघु उद्योग, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, न्यूकलीय ईंधन परियोजनाओं सहित परमाणु ऊर्जा विभाग की औद्योगिक परियोजनाओं, वस्त्रोद्योग और जूट से संबंधित संगठनों और स्कीमों के लिए है। परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजनाओं संबंधी प्रावधान में ईंधन निर्माण सुविधाओं के लिए ₹ 1,156.42 करोड़ की राशि को निवल प्राप्तियों के रूप में लिया गया है जिसे विभाग द्वारा चलाया जा रहा वाणिज्यिक उपक्रम माना जाता है। इसमें भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के लिए (₹ 437.35 करोड़) शामिल है।

**11.05 परिवहन (₹ 4,139.92 करोड़):-** ये व्यवस्थाएं मुख्यतया सड़कों तथा पुलों के रख-रखाव (₹ 3,490.26 करोड़), जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग (₹ 2,701.47 करोड़) शामिल है; सीमा सड़क संगठन (₹ 736 करोड़), और तलकर्षण तथा सर्वेक्षण संगठनों (₹ 286.46 करोड़) से संबंधित है। दीप-स्तम्भ और दीप पोत विभाग को वाणिज्यिक उपक्रम माना जाता है, और ₹ 38.08 करोड़ की निवल प्राप्तियां होने का अनुमान है।

**11.06 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण (₹ 6,856.44 करोड़):-** इसके अन्तर्गत की गई व्यवस्था में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के लिए ₹ 3,238.10 करोड़, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए ₹ 1,319.10 करोड़, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्कीमों के लिए ₹ 364.58 करोड़, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के लिए ₹ 1,738.70 करोड़, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के लिए ₹ 81.07 करोड़ और समुद्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ₹ 50 करोड़ शामिल हैं।

**11.09 जनगणना आँकड़ों का सर्वेक्षण (₹ 733.17 करोड़):-** यह प्रावधान मुख्यतया राष्ट्रिय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के लिए है।

**12. राज्य सरकारों को आयोजना-भिन्न अनुदान (₹ 1,07,559.35 करोड़)** राज्य सरकारों को अनुदान के अनुमान तेरहवें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर आधारित हैं। इसमें अंतरण उत्तर राजस्व घाटा अनुदान नगरनिगम निकायों (ग्रामीण और शहरी) अनुदान और राज्य आपदा अनुक्रिया को (एसडीआरएफ) में केन्द्र को अंशदान के रूप में अनुदान भी शामिल है इके अलावा सीएसटी के फेजिंग के कारण होने वाले घाटे के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति करने के लिए इसमें अतिरिक्त प्रावधान भी निहित है।

### 13. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को आयोजना-भिन्न अनुदान (₹ 992.35 करोड़)

इसके अन्तर्गत व्यवस्था मुख्यतः पुडुचेरी के लिए आयोजना-भिन्न राजस्व के अन्तर (₹ 556 करोड़), केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में हिस्से के बदले राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली को अनुदान (₹ 325 करोड़) को पूरा करने के लिए की गई है। ब्यौरे विवरण संख्या 10 में दिए गए हैं।

### 14. विदेशी सरकारों को अनुदान (₹ 4,341.62 करोड़)

इसमें मुख्यतः भूटान के लिए ₹ 1,200 करोड़, नेपाल के लिए ₹ 420 करोड़, अफ्रीकी देशों के लिए ₹ 200 करोड़, बंगलादेश के लिए ₹ 250 करोड़, श्रीलंका के लिए ₹ 500 करोड़, म्यांमार के लिए ₹ 120 करोड़, अफगानिस्तान के लिए ₹ 550 करोड़, मालदीव के लिए ₹ 25 करोड़ और अन्य विकासशील देशों आदि और अन्य कार्यक्रम के लिए ₹ 1,076.62 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ब्यौरे विवरण संख्या 11 में दिए गए हैं।

**15. आयोजना-भिन्न पूंजी परिव्यय (रक्षा को छोड़कर) (₹ 10,582.16 करोड़):-** इसमें मुख्य व्यवस्था पुलिस अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय (₹ 1168.65 करोड़), परमाणु ऊर्जा विभाग का पूंजी परिव्यय (₹ 942.68 करोड़), तटरक्षक संगठन के लिए पोतों, नावों, विमानों आदि के अधिग्रहण (₹ 1,200 करोड़), सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए (₹ 1,942 करोड़), सीबीडीटी के लिए बना-बनाया आवास खरीदना (₹ 574.20 करोड़), केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग द्वारा कार्यालय भवन का निर्माण (₹ 378.31 करोड़) और विदेश स्थित भारतीय मिशनों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय भवनों के अधिग्रहण/निर्माण (₹ 330 करोड़), अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश (₹ 1066.29 करोड़), पुलिस पर पूंजी परिव्यय (₹ 2800.93 करोड़)। ब्यौरे विवरण संख्या 8 में दिए गए हैं।

### 17. संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को आयोजना-भिन्न ऋण (₹ 72 करोड़)

इसमें पुडुचेरी को अपने संसाधनों में आयोजना-भिन्न अन्तर को पूरा करने के लिए व्यवस्था की गई है। ब्यौरे विवरण संख्या 10 में दिए गए हैं।

### 18. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न अनुदान और ऋण (₹ 1,957.06 करोड़)

इसमें सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संसाधनों में कमियों को पूरा करने के लिए ₹ 70.01 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ₹ 150 करोड़ की एकमुश्त व्यवस्था सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनरुद्धार पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए है। ₹ 734 करोड़ का दूसरा एकमुश्त प्रावधान स्वैच्छिक पृथक्कीकरण स्कीम और सांविधिक बकाया राशियों के लिए है। ₹ 1,003.05 करोड़ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदान के रूप में दिया गया है। ब्यौरे विवरण संख्या 9 में दिए गए हैं।

### 21. बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का आयोजना-भिन्न व्यय (₹ 4,982.25 करोड़)

इनमें यह व्यवस्था की गई है:- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए ₹ 1,541.38 करोड़, दादरा और नगर हवेली के लिए ₹ 141.56 करोड़, लक्षद्वीप के लिए ₹ 549.59 करोड़, चंडीगढ़ के लिए ₹ 2,594.50 करोड़ और दमन एवं दीव के लिए ₹ 155.22 करोड़। ब्यौरे विवरण संख्या 3 में दिए गए हैं।